बलरामपुर में साइबर ठगी के 54,684 रुपए पुलिस ने कराए वापस

स्वतंत्र हित- मो0 तौफीक

बलरामपुर। जनपद के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को पुलिस ने राहत दिलाई है। पुलिस की तत्परता से ठगी गई 95 हजार रुपये की रकम में से 54,684.74 पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराए गए। पीड़ित जनकराम निवासी पेहर के बेटे को साइबर ठग ने उसका दोस्त बनकर फोन किया था। झांसे में आकर उसने 16 मई 2026 को 95 हजार रुपये ठग के बताए मोबाइल नंबर पर भेज दिए। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। रेहरा बाजार थाने की साइबर हेल्पडेस्क ने बैंक टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम को होल्ड कराया। इसके बाद न्यायालय से आवश्यक आदेश लेकर 54,684.74 की रकम पीड़ित के खाते में वापस कराई गई। रुपये वापस मिलने पर पीड़ित ने बलरामपुर पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते रकम को होल्ड कराकर वापस कराने की कार्रवाई की जा सके।